Annexure-I

FORM-II

(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Garhwal
***

No 1 Dated 19/11/2014

TO WHOWSOEVER MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of Indias letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.(FRS for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2003 wherein MoEF issued proposed to be diverted in favour of National Highway Division Dhumakot (Name of user agency)for NH 119 Kotdwara to Satpuli (purposed for diversion of forest land) in Pauri District district falls within jurisdiction of Amsod & Ghoom villager(s) in Kotdwara & Satpuli tehsils.

It is futher certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire.................49.009.............hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Rights Committee of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level committee are enclosed as annexure.........(1)...............to........(11).........annexure.....................

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.

(c) The each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/processes under the FRA have proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. As above.

27.11.14
(Chandra Shekhar Bhatt)
District Collector Garhwal

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II

(for projects other than linear projects)
Government of Government of Uttarakhand
***

No........(11)....... Dated..19/11/14.

TO WHOWSOEVER MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of Indias letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRS for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2003 wherein MoEF issued proposed to be diverted in favour of....National Highway Division Dhumakot.....................(Name of user agency)for......NH-119....Kotdwara - Satpuli(purposed for diversion of forest land) in..........................Pauri..district falls within jurisdiction of...Amsod and Ghorm... villager(s) in...Kotdwara - Satpuli......tehsils.

It is futher certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire...............42.009..............hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Rights Committee of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure.......(I)...........to......(II).............annexure..23, 23.1, 23.2, 23.3

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The each of concerned Garam Sabha(s) has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the comperisation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of ....Amsod..............villages(s) is enclosed as annexure...........(I).........................to annexure..............(II)..........................

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agriculturl Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl. As above.

27.11.14
(Chandra Shekhar Bhatt)
District Collector, Garhwal

(Full name and offcial seal of the District Collector)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-119 के कि०मी० 139 से 196 तक (कोटद्वार से सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ीकरण बाबद।

वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम आमसौड़

तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी के अन्तर्गत NH-119 (कोटद्वार-सतपुली) परियोजना के निर्माण हेतु (32.335 हे0 आरक्षित वन भूमि, 8.171 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.513 हे0, वन पंचायत भूमि 0.990 हे0) अर्थात कुल 42.009 हे0 वन भूमि का राजस्व / वन विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत आमसौड़ द्वारा दिनांक 19/11/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा हैं।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम आमसौड़ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि NH- Divisim Dhumakot प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही हैं।

ह0/–
ग्राम सचिव
ग्राम विकास अधिकारी
वि0ख0 दुगड्डा
जिला–पौड़ी गढ़वाल

प्रधान ग्राम सभा ग्राम (लंगूर)
19 NOV 2014
विकास खण्ड द्वारीखाल

सावित्री देवी
सदस्य (आमसौड़)

ह0 सावित्री देवी
ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम सभा आमसौड़
तहसील कोटद्वार (पौड़ी ग०)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 19/11/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत आमसौड़, तह0-कोटद्वार, जिला-पौड़ी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	ओमचन्द्र जी आर्य	ओमचन्द्र
2.	दुर्गासिंह जी बिष्ट	दुर्गा
3.	कुन्दन सिंह जी नेगी	Kun
4.	कुशाल सिंह जी अग्रवाल	Kun
5.	कैलाश चन्द्र जी बौठियाल	कैलाशचन्द्र

प्रधान ग्राम सभा ग्राम (लगूर) ह0 19 NOV 2014 विकास खण्ड द्वारीखाल

ह0 सावित्री देवी
ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम सभा आमसौड़ तहसील कोटद्वार (पौड़ी ग0)

सुशीला देवी

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– राष्ट्रीय राजमार्ग सं०–119 के कि०मी० 139 से 196 तक (कोटद्वार से सतपुली) दो लेन चौड़ीकरण बाबत्।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कोटद्वार

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कोटद्वार

उपखण्ड कोटद्वार परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति (32.335 हे० आरक्षित वन भूमि, 8.171 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 01.513 हे० वन पंचायत 0.990 भूमि, अर्थात कुल 42.009 हे० वन भूमि) का राष्ट्रीय राजमार्ग कुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कोटद्वार) की दिनांक 19/11/14 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक श्री ओमचन्द्र आर्य उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं।

उप प्रभागीय वनाधिकारी कोटद्वार उप वन प्रभाग कोटद्वार

1– श्री गोपाल राम बिनवाल उपजिलाधिकारी कोटद्वार अध्यक्ष
2– श्री जगदीश सिंह रावत उप प्रभागीय वनाधिकारी कोटद्वार सदस्य
3– श्री कृष्ण राम आर्य सहायक समाज कल्याण अधिकारी —"— सदस्य/ सचिव
4– श्रीमति ममता देवी बी०डी०सी० क्षेत्र —"— सदस्य

क्षेत्र पंचायत सदस्य 4–आमसौड़, वि०ख०–दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–119 के कि०मी० 139 से 196 (कोटद्वार से सतपुली) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि प्रस्ताव। परियोजना हेतु 42.009 हे० वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड कुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकारी का कोई मामला लम्बित नहीं हैं। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई हैं।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, कोटद्वार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी हैं। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :– राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-119 के कि०मी० (कोटद्वार से सतपुली) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु वन भूमि प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु 42.009 हे0 वन भूमि धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति ग्रामसौड़ तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण मे किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं।

जिलाधिकारी

ह0/– पढ़वाल

जिलाधिकारी

नोट :– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया हैं। उक्त प्रकरणों मे प्रमाण–पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2, व 23,3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नही किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कोटद्वार परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रभावित भूमि की वैधानिक स्थिति परियोजना के निर्माण हेतु 42.009 हे0 वन भूमि धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कोटद्वार
जनपद– पौड़ी (गढ़वाल)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी (गढ़वाल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कोटद्वार
जनपद– पौड़ी (गढ़वाल)